न्यायालय विशेष न्यायाधीश रेप एवं पाक्सो एक्ट–प्रथम/अपर सत्र न्यायाधीश , बलरामपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या 22/2020

राज्य बनाम राजेन्द्र आदि।

मुकदमा अपराध संख्या 90/2019
धारा–376डी0 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 5/6 पाक्सो एक्ट तथा धारा 3 (2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना–गौरा चौराहा।
जनपद–बलरामपुर।

दिनांक 17–09–2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित आये।

3क प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष को सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश में नियत है।

प्रार्थना–पत्र 3क अन्तर्गत धारा 5 किशोर न्याय (किशोरों का संरक्षण) अधिनियम 2015 व नियमावली 2016 वास्ते घोषित किये जाने अपचारी किशोर साहब राम की ओर से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी प्रश्नगत मुकदमें में कथित अभियुक्त है। प्रार्थी प्रश्नगत मुकदमें में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। प्रार्थी अवयस्क है। प्रार्थी ने अपनी प्रथम शिक्षा प्राथमिक विद्यालय कोइलखार शिक्षा क्षेत्र गैसड़ी जनपद बलरामपुर में ग्रहण की है जिसके अभिलेखों में प्रार्थी के जन्मतिथि की अंकना 21.02.2003 है। न्यायहित में प्रार्थी के किशोर अपचारी घोषित किये जाने हेतु किये जाने वाले जांच में प्रार्थी के प्रथम शिक्षा ग्रहण करने वाले अभिलेख की आवश्यकता होगी। अतः साहब राम पुत्र राम चरित्र यादव निवासी ग्राम भगोसर निवासी कोइलखार थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर से संबंधित मूल छात्र पंजिका व अन्य संबंधित अभिलेख मय अभिरक्षक तलब किया जाना नितान्त आवश्यक है तथा प्रार्थी को किशोर अपचारी घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त दर्शित छात्र/प्रार्थी से संबंधित मूल छात्र पंजिका व अन्य अभिलेख मय अभिरक्षक तलब करके व प्रार्थी को किशोर अपचारी घोषित करने की कृपा करें।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पाक्सो एक्ट द्वारा आपत्ति करते हुए तर्क दिया गया कि हरगिज अभियुक्त साहब राम घटना की तिथि को नाबालिग नहीं था, वह पूर्ण रूप से बालिग था। उसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ वादिनी श्रीमती मुरता देवी जो अनुसूचित जाति का महिला है उसकी पुत्री मैना देवी जो घटना के समय 14 वर्ष की अवयस्क थी उसके साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया

है जिसके कारण प्रार्थी किशोर अपचारी घोषित किये जाने का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में मौखिक साक्ष्य के रूप में तौफीक अहमद जो प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कोइलखार शिक्षा क्षेत्र गैसड़ी जनपद बलरामपुर के प्रभारी हैं, को बतौर सी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि मैं प्राथमिक विद्यालय कोइलखार शिक्षा क्षेत्र गैसड़ी जनपद बलरामपुर का प्रभार मुझे प्राप्त है एवं वर्तमान में मेरी मूल तैनाती जूनियर हाईस्कूल कोइलखार शिक्षा क्षेत्र गैसड़ी जनपद बलरामपुर में प्रधानाचार्य के पद पर है। प्राथमिक विद्यालय कोइलखार का प्रभारी होने के नाते कोइलखार प्राथमिक विद्यालय के सभी प्रपत्रो को अभिरक्षक है। माननीय न्यायालय द्वारा छात्र साहब राम पुत्र श्री राम चरित्र यादव निवासी भगवतपुर कोइलखार से संबंधित छात्र से संबंधित प्रवेश पंजिका व परीक्षा फल पंजिका मूल रूप से लेकर आया हूॅ। प्रवेश पंजिका के क्रम 687 पर छात्र साहब राम पुत्र राम चरित्र यादव निवासी भगवतपुर कोइलखार से संबंधित अंकना है, जिसमे छात्र साहब राम की जन्मतिथि 21.02. 2003 अंकित है। छात्र को प्रवेश कक्षा प्रथम में दिनांक 03.07.2009 को नामांकन हुआ था जो कि कक्षा पॉच उत्तीर्ण किया है, जिसके सन्दर्भ में उसे टी0सी0 भी निर्गत किया जा चुका है। छात्र साहब राम का मेरे विद्यालय से पूर्व कही और नामांकन नहीं था, क्योंकि कक्षा एक में मेरे ही विद्यालय में प्रवेश लिया है। मेरे विद्यालय से पूर्व यदि उसने कही और शिक्षा ली होती तो उसकी अंकना रजिस्टर में अवश्य होता।

मैं छात्र संबंधित प्रवेश पंजिका की छायाप्रति स्वप्रमाणित करके पत्रावली में दाखिल कर रहा हूॅ। मूल से मिलान किया गया जो असल के मुताबिक है। मैं छात्र से संबंधित परीक्षाफल रजिस्टर भी लाया हूॅ, जिसमें सत्र 2013–2014 में छात्र साहब राम ने कक्षा पॉच उत्तीर्ण की है। इसकी भी स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत कर रहा हूॅ, जिसका मूल से मिलान किया गया सही पाया गया। मेरे प्रपत्रों के अनुसार छात्र साहब राम की जन्मतिथि 21.02.2003 है, जिसमें प्रवेश पंजिका की छायाप्रति प्रदर्श क–1 तथा परीक्षाफल पंजिका की छायाप्रति पर प्रदर्श क–2 डाला गया। उन्होंने प्रवेश पंजिका की छायाप्रति को प्रदर्श क–1 के रूप में तथा परीक्षाफल पंजिका की छायाप्रति को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

उपरोक्त साक्षी से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पाक्सो एक्ट द्वारा जिरह करने पर कहा कि मैं मूल रूप से पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोइलखार में प्रधानाध्यापक के पद पर हूॅ। प्राइमरी विद्यालय कोइलखार का

प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हूॅ। विद्यालय में साहब राम का प्रवेश कक्षा एक में उनके माता–पिता द्वारा कराया गया था। प्रवेश रजिस्टर में जो अंकना है, वह छात्र माता–पिता के बताने के अनुसार की जाती है। छात्र साहब राम मेरे स्कूल कोइलखार से शिक्षा सत्र 2013–2014 में कक्षा पॉच उत्तीर्ण हुआ है। इस रजिस्टर में कितने पन्ने है इसकी अंकना नहीं है बल्कि यह प्रवेश पंजिका 2001 से 2009 है। आज मैं टी0सी0 रजिस्टर नहीं लाया हूॅ, परन्तु प्रवेश पंजिका में अंकना है कि दिनांक 04.07.2014 को टी0सी0 जारी किया गया।

श्रीमती रामरती जो प्रार्थी का पिता को बतौर सी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि मेरे पॉच बच्चे है, जिसमें 3 बेटे व 2 बेटियॉ है। मेरे बेटे साहब राम बच्चो में दूसरे नम्बर पर है (माझिल है)। मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूॅ। मेरे बड़े बेटे व मझिले बेटे साहब राम में छः वर्ष का अन्तर है। गवाह ने स्वयं कहा कि मेरा बड़ा बेटा 21–22 वर्ष का है। मेरे बेटे साहब राम गांव के दोनो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। गौरा में नाम लिखाया गया था। इसी बीच जेल चले गये साहब राम फाल्गुन के महीने में पैदा हुए थे। इनकी उम्र 15–16 साल होगी। साहब राम का जब नाम स्कूल में लिखाया गया था तब मेरे साथ परिवार (पति) गए थे। सही सही बात स्कूल में बताई गयी थी व लिखाई गयी थी। मेरा बेटा बेगुनाह है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहती हूॅ और अच्छा आदमी बनाना चाहती हूॅ।

उपरोक्त साक्षी से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पाक्सो एक्ट द्वार जिरह करने पर कहा कि मेरे पति का नाम राम चरित्र है, जब मै 10–11 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। इस समय मेरी उम्र 40 वर्ष है। मेरे सबसे बड़े लड़के का नाम रामानन्द है। रामानन्द के बाद साहब राम पैदा हुए, साहब राम के बाद स्वामीनाथ पैदा हुए। स्वामीनाथ के बाद बेटी पैदा हुई, प्रीती के बाद बेटी शालिनी पैदा हुई। सबसे छोटी बच्ची शालिनी जो 4 वर्ष की है वह स्कूल नहीं जाती है। बाकी सभी बच्चे गांव में पढ़े है।

साहब राम का नाम स्कूल में लिखाने मैं गई थी। स्कूल में मास्टर साहब को साहब राम का नाम, पिता का नाम, उम्र, पता सभी बाते मेरे पति ने व मैंने बताई थी। उसी के अनुसार स्कूल में इन्द्राज है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूॅ इसलिए आज मुझे सही सही जन्मतिथि याद नहीं है।

पत्रावली में साहब राम का प्राथमिक विद्यालय कोइलखार गैसड़ी तहसील तुलसीपुर जिला बलरामपुर का प्रवेश पंजिका की छाया प्रति प्रमाणित क/7 दाखिल है साहब राम की जन्मतिथि 21–02–2003 अंकित है। पत्रावली में साहब राम के प्राथमिक विद्यालय कोइलखार शिक्षा क्षेत्र गैसड़ी तहसील जिला

बलरामपुर का परीक्षा फल की छाया प्रति प्रमाणित क/8 दाखिल है, जिसमें साहब राम की जन्मतिथि जन्मतिथि 21—02—2003 अंकित है।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त साहब राम जिस घटना में शामिल था घटना की तिथि 17—08—2019 अंकित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी घटना की तिथि 17—08—2019 अंकित है। जन्मतिथि के सम्बन्ध में दाखिल प्रवेश पंजिका तथा परीक्षा फल में भी साहब राम की जन्मतिथि 21—02—2003 अंकित है। घटना की तिथि एवं जन्मतिथि को देखने से अभियुक्त साहब राम की घटना के समय उम्र 16 वर्ष 05 माह 26 दिन होती है जो कि स्पष्ट रूप से 18 वर्ष से कम है। अतः अभियुक्त साहब राम अपचारी घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त साहब राम को धारा 5 किशोर न्याय (किशोरों का संरक्षण) अधिनियम 2015 व नियमावली 2016 के प्राविधान के अन्तर्गत किशोर अपचारी घोषित किया जाता है। किशोर अपचारी की पत्रावली पृथक करके किशोर न्याय बोर्ड बलरामपुर को प्रेषित किया जाय। दिनांक 30—09—2020 को पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

दिनांक 17—09—2020

(अमित वर्मा)
विशेष न्यायाधीश,
रेप एवं पाक्सो एक्ट—प्रथम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।